न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिह पूनीयॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2001/00015 (10/2001) 223 आरटीएक्ट

1. हेतराम (फौत) } पि0 नन्दराम अकवाम सुथार साकिन चक 29 डी.डब्ल्यू.डी.
2. दयाराम } तहसील रावतसर
3. खेताराम पुत्र काशीराम जाति सुथार साकिन रावतसर तहसील रावतसर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मनीराम जाति सुथार } निवासी चक 29 डी.डब्ल्यू.डी.
2. मनीराम पुत्र नन्दराम जाति सुथार } तहसील रावतसर
3. रेशमी पुत्री नन्दराम बेवा मनोहरलाल जाति सुथार } जिला हनुमानगढ।
4. इज्ञा पुत्री नन्दराम पत्नी हनुमान जाति सुथार निवासी रावतसर
5. प्रमेश्वरी बेवा काशीराम जाति सुथार निवासी रावतसर
6. कमला पुत्री काशीराम पत्नी औमप्रकाश } जाति सुथार निवासी हरदासवाली
7. विमला पुत्री काशीराम पत्नी नंदराम } तहसील रावतसर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।
9. शान्ति देवी पत्नी
10. चन्द्रकला पुत्री } श्री हेतराम जाति सुथार चक 29 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील
11. पवन पुत्र } व जिला हनुमानगढ
12. पूनम पुत्री
13. विजय कुमार पुत्र

–– रेस्पोडैन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर रावतसर दिनांक 23.02.2001 प्रकरण संख्या 177/96 बअनवानी भागीरथ बनाम मनीराम आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1

श्री संजय भादी अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4, 5, 9, 10, 11

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:24 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें उसने कथन किया कि नंदराम की चक 28 डी.डब्ल्यू.डी., 30 डी.डब्ल्यू.डी. व 29 डी.डब्ल्यू.डी. की कुल 86 बीघा भूमि थी, जिसमें से चक 29 डी.डब्ल्यू.डी. के प. नं. 133/3 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23, प. नं. 132/3 किला नं. 1/0.18 कुल 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि नन्दराम ने वादी भागीरथ को दिनांक 15.05.1984 को रजिस्टर्ड वसीयत दे दी लकिन प्रतिवादी ने समस्त 86 किला भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लिया है जो वादी अपने हकूक के मुकाबले प्रभावहीन है। वादी ने प्रश्नगत 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा जमाबन्दी दुरूस्त करने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा।
2. प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया कि प्रश्नगत भूमि नंदराम की खातेदारी भूमि नही थी यह प्री–55 की भूमि थी नंदराम को वसीयत करने काअधिकार नही था। वसीयत के आधार पर वादी वाद लाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण ने वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून, नियम व रूएदाद मिसल है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया। वसीयत के हासिया गवाहन को पेश कर वसीयत साबित नहीं करवाई गई वसीयत को साबित मानकर कानूनी गलती की है। प्रशगनत वसीयत से ही नहीं नंदराम की भूमि ही नही थी तथा वह 86 किला का मालिक नहीं है। वादी रेस्पोडेण्ट ने जिस वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उद्घोषणा करवाई है उस वसीयत में प0 नं0 133/3 व 132/4 की भूमि का विवरण है जबकि यह भूमि वसीयत कर्ता नन्दराम की नही थ। यदि वसीयत 133/3 व 132/4 की जगह प0 नं0 132/3 व 132/2 की मानी जाती है तो भी स्वीकार नही है क्योंकि राजस्व न्यायालय द्वारा रजि0 वसीयत में इस प्रकार का संशोधन कर डिक्री प्रदान नहीं

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:24 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2020 आरआरटी पेज 258, 1988 आरआरडी पेज 23, 2019 आरआरटी पेज 1010 डीबी, 1991 आरआरडी पेज 249, आरआरडी 1995 पेज 27 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि नंदराम की चक कुल 86 बीघा भूमि थी, जिसमें से चक 29 डी.डब्ल्यू.डी. के प. नं. 133/3 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13,18 ता 23, प. नं. 132/3 किला नं. 1/0.18 कुल 15 बीघा 18 बिस्वा भूमि नन्दराम ने वादी भागीरथ को दिनांक 15.05.1984 को रजिस्टर्ड वसीयत दे दी लकिन प्रतिवादी ने समस्त 86 किला भूमि का विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा लिया है जो वादी ने अपने हकूक के मुकाबले प्रभावहीन बताया। प्री–'55 की गैरखातेदारी भूमि की यदि खातेदारी ली जा सकती है तो उसकी वसीयत भी की जा सकती है। इसमें किसी प्रकार की विधि अनियममिता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4, 5, 9,10,11 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करत हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

7. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. नन्दराम की चक 28 डी.डब्ल्यू.डी. 30 डी.डब्ल्यू.डी. व 29 डी.डब्ल्यू.डी. की कुल 86 बीघा भूमि थी। रेस्पोडेण्ट का कथन है कि उस भूमि में से उसे 15 बीघा 18 बिस्वा की नन्दराम ने वसीयत करदी थी। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि प्री–55 की भूमि थी गैरखातेदारी की भूमि थी जिस का नन्दराम को वसीयत करने का अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2019 (2) पेज 1110 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खातेदार ही वसीयत कर सकेगा। खातेदार के अलावा अन्य अभिधारी वसीयत नहीं कर सकेगा। राजस्व रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि वसीयत के दिन राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:24 IST
Reason: SelfAttested

132/4 की भूमि का विवरण है जबकि यह भूमि वसीयतकर्ता नन्दराम की नही थी। यदि वसीयत 133/3 व 132/4 की जगह पर प0 नं0 132/3 व 132/2 की जानी जाती है तो क्या वसीयत में इस प्रकार का संशोधन कर डिक्री प्रदान की जा सकती है? क्या राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड दस्तावेज को दुरूस्ती करने का क्षेत्राधिकार है? उपरौक्त बिन्दूओं का साक्ष्य सुनवाई कर निर्धारण किया जाना उचित है तथा दसके साथ वसीयत को हासिया गवाहान के जरिये साबित करवाया जाना अपेक्षित है जो नहीं करवाई गई है। उपरोक्त तथ्यों के मद्दनजर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरौक्तानुसार उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

23-2-2001 corr Kind Date Sd/- 1-3-2021

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Sd/- 26/2/21
(करतारसिह पूनियां)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 14:04:24 IST
Reason: SelfAttested